झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08/ज०सं०(नि०) राँची–03–07/2017 (पार्ट–IV) ..../राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री जीतन दास (ID- 4376), कार्यपालक अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण प्रमण्डल राँची, सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी के विरूद्ध नहर एवं नहर संरचना रूपांकण प्रमण्डल, राँची के कार्यालय में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में श्री अरूण कुमार तदेन कार्यपालक अभियंता, गुण–नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर को दिनांक– 26.08.2016 से 29.12.2016 तक के अवधि का गुण–नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर के कार्यालय एवं मुख्यालय में अनुपस्थित रहने के बावजूद उक्त आलोच्य अवधि का बकाया भुगतान बगैर अवकाश स्वीकृत कराये भुगतान किये जाने के लिए विभागीय पत्रांक– 4826 दिनांक– 13.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

2. श्री दास से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के बकाया वेतन की वस्तुस्थिति जाने बगैर उक्त आलोच्य अवधि का बकाया भुगतान किये जाने के कारण स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य करते हुए विभागीय पत्रांक– 2217 दिनांक– 16.05.2018 द्वारा 'निन्दन' दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

3. श्री दास से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। श्री दास के द्वारा कहा गया श्री कुमार का बकाया वेतनादि का भुगतान अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवं महालेखाकार से निर्गत वेतन पुर्जा एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित वेतन विवरणी के आधार पर किया गया जिसमें संदेह की गुंजाईश नहीं थी।

सम्यक् समीक्षोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए श्री जीतन दास, (ID- 4376), कार्यपालक अभियंता को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

4. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. एतद् द्वारा सरकार के उक्त आदेश को संसूचित किया जाता है।

ह०/
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : ....1369..... /राँची, दिनांक : ...06/03/19...

प्रतिलिपि : उप सचिव (प्रबंधन) प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची/ श्री जीतन दास (ID- 4376), कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/03/19

(रमेश कुमार दूबे)